

प्रेषणः

जे.पी. जोशी,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-२
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

नव उत्तरांचल संसाधन विभाग।

देहरादून: 27 अगस्त, 2001

विषय: शिवालिक एकेडमी जूनियर हाईस्कूल राजावाला रोड, देहरादून को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, शिवालिक एकेडमी जूनियर हाईस्कूल राजावाला रोड, देहरादून को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्षों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पंजीकृत लोकायती का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा गज्ज सरकार से किसी अनुदान की नांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. सरथा ईंटिक एवं शिक्षणस्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य बेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम बेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उम्मात विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

Manager,
Shivalik Academy
Selakui Dehra Dun.

Principal
DAV Centenary Public School
Tajgeepur, Laksar Road, Hardwar

फ्रमश: 2

2- प्रतिवन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-

1- कक्षों, शिक्षकों, भूमि तथा भवन की रिस्ते स्पष्ट करा ली जाय।

3- उक्त प्रतिवन्धों का पालन करना संभव के लिये अनियार्थ होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी इकार की चुक्क या शिथिलता वर्ती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस दिया जायेगा।

भवदीय,

(जे. पी. जोशी)

अनु सचिव।

३१/१९६०(१) मा०स०वि०/२००१ तदिनांक।

इटिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नाय्यमिक एवं वैसिक, उत्तरांचल।

2- नाय्यलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी।

4- बृद्धक, शिवालिक एकेडमी जूनियर हाईस्कूल राजावाला रोड, देहरादून।

5- अनुमानीय पुस्तिका।

आज्ञा है
५५५० वी० जौ०८०।
अनु सचिव।

Srivastav
Manager,
Shivastik Academy
Selakui, Dehra Dun



Principal
DAV Community Public School
Janj, Juri, Laksar Road, Hardwar